निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 634/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

छीतर पुत्र सूजा जाति अहीर, निवासी करणसर तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर।
2. रामू पुत्र सूजा,
3. नारायण पुत्र सूजा,
4. भोलू पुत्र सूजा,

   समस्त जाति अहीर, निवासी करणसर तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
5. मंगली पुत्री सूजा पत्नी घीसाराम जाति अहीर, निवासी मलिकपुरा तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।
6. लाडा पुत्री सूजा पत्नी नानकराम जाति अहीर, निवासी धाना का बास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2025 ब–उनवानी छीतर बनाम रामू व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री रामकिशन शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी ओर से उपस्थित।
2. श्री गोपाल लाल बाना अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 29.12.2025

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 01/2025 ब–उनवानी छीतर बनाम रामू व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल लाल बाना ने वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त उनवानी रिव्यू प्रार्थना पत्र निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2025 विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 32/2022 उनवानी छीतर बनाम रामू प्रस्तुत किया था, जिसमें बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिए ही

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

एकपक्षीय निर्णय दिनांक 26.03.2025 को पारित कर दिया गया था। निर्णय की जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 29.08.2025 को प्रार्थी न्यायालय में तारीख पेशी हेतु गया तो अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को धमकी दी कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है और उन्होने उक्त प्रकरण का निस्तारण हमारे पक्ष में करने हेतु हमे आश्वासन दे रखा है और पूर्व में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा हमारे कहे अनुसार निर्णय व डिक्री पारित की थी। उक्त घटना से पीठासीन अधिकारी को अवगत कराया तो उन्होने भी कहा कि मैरे ऊपर राजनैतिक दबाव है, मैं शीघ्र ही तुम्हारा प्रार्थना पत्र खारिज करूंगी। अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त हरकतों एवं पीठासीन अधिकारी से मिल जाने पर प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना आवश्यक व प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर